कार्यालय कलेक्टर निर्वाचन सामान्य जिला खरगोन म.प्र.

ई-मेल आय.डी. deokhargone@gmail.com
दूरभाष क्रमांक 07282-232191

निर्वाचन तत्काल

क्रमांक 1018 /निर्वाचन सा./2018 खरगोन,दिनांक 14.09.2018

// पुनः पीतल सील मुद्रण निविदा सूचना //

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु संलग्न नमूने अनुसार पीठासीन अधिकारियों की पीतल सीले तैयार कराई जाना है, जिसके लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदायें दिनांक 10.10.2018 को अपरान्ह 03.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिन सांय 04.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्त :-

1. पीठासीन अधिकारी के लिये पीतल की सील 10 दिवस के अन्दर नमूने के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रूपये 5,000/- (रूपये पॉच हजार मात्र) प्रतिभूति बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।
3. निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खरगोन को होगा।
4. निविदा की सामग्री आवश्यकता अनुसार स्वीकृत दर पर प्रदाय करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा। सामग्री मांग का आदेश प्राप्त होने पर समयावधि में निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
5. निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नही किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जावेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
6. निविदादाता का देयक परीक्षण एवं ऑडिट/अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा प्रदत्त आवंटन के अनुसार भुगतान किया जावेगा, जिसमें किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करो की कटोत्री की जावेगी।
7. कलेक्टर द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्व किसी भी न्यायालय में वाद नही लाया जा सकेगा।
8. किसी वाद-विवाद में कलेक्टर खरगोन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

अपर कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला खरगोन म.प्र.

पृ.क्रमांक 1019 /निर्वाचन सा./2018 खरगोन,दिनांक 14.09.2018

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर।
3. आयुक्त, जनसम्पर्क, जन सम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर 05 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजि. अधि. समस्त जिला खरगोन।
7. तहसीलदार एवं सहा.निर्वा.रजि.अधि.समस्त जिला खरगोन।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला खरगोन।
9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी समस्त जिला खरगोन।
10. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला खरगोन की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आम जनता के लिये चस्पा करायें।
11. जनसम्पर्क अधिकारी जिला खरगोन की ओर स्थानिय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
12. संबंधित फर्म/संस्था ....

14/09/18

अपर कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला खरगोन म.प्र.